न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 55/10 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2010/00042

उनवान

भरत पुत्र श्री मवासी, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जघीना तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी/प्रतिवादी

बनाम

1. मूर्ति गोपाल जी महाराज विराजमान मन्दिर ग्राम जघीना जरिये संरक्षक तहसीलदार, भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स/वादी

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 226/08 बउनवानी मूर्ति गोपाल जी महाराज बनाम मवासी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 व 183 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार भरतपुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 12.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स. 226/08 बउनवानी मूर्ति गोपाल जी महाराज बनाम मवासी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 व 183 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट मूर्ति की तरफ से संरक्षक लक्ष्मण सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था कि विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 942, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467 किता 7 रकबा 2.08 वाके ग्राम जघीना नं. 1 तहसील भरतपुर स्थित है। उक्त हाल खसरा नम्बरान पर प्रतिवादी ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली तथा हाल आराजी ख.न. 2465, 2466, 2467 का गलत रुप से ऑयल डिपो से मुआवजा प्राप्त कर लिया। शेष नम्बरों पर प्रतिवादी के नाम हो रहे खातेदारी के इन्द्राज बने रहने से मूर्ति के हकूकों पर जवाल आने का अन्देशा है। इसलिए वादी अपने हकूक पाने के लिये खातेदारी अपने नाम कराने के लिये दावेदार है। चूंकि प्रतिवादी आराजी मुत0 पर नाजायज तौर पर बहैसियत काबिज है। इसलिये मूर्ति वादी जरिये संरक्षक आराजी मुत० से प्रतिवादी को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने की हकदार है। इसलिये वादी ने दावा पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज जरिये संरक्षक कराया जावे एवं प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी वाहक वादी व खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादी आराजी मुत0 मे किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करें और ना ही उक्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को खुर्द-बुर्द करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। जिसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.06.010 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार भरतपुर उपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित किये जाने मे कानूनी भूल की है। तनकी सं. 1 का निर्णय वहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निर्णीत की गई है प्रतिवादी द्वारा तनकी सं. 4 के संबंध में पूर्व दावा, अपील, राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की प्रतिलिपी प्रस्तुत की जिसमें मूर्ति गोपाल जी की जमीन न माना जाना अंकित किया है और प्रतिवादी को खातेदार होना बतलाया है परन्तु फिर भी सुयोग्य न्यायालय तहत ने प्रतिवादी की साक्ष्य पर भरोसा न करते हुये निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने अपनी स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की है परन्तु प्रतिपरीक्षण में मंदिर की सेवा-पूजा करने से इन्कार किया है तथा प्रतिवादी द्वारा ही सेवा, पूजा किया जाना व प्रबंध किया जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मूर्ति मंदिर गोपाल जी महाराज द्वारा विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में भी दावा किया था जो उनवानी मूर्ति गोपाल जी महाराज बनाम मवासी वगै. न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में प्रस्तुत किया गया उक्त वाद दिनांक 18.01.1996 को निरस्त हुआ उक्त निर्णय से व्यथित होकर मूर्ति मंदिर गोपाल जी महाराज ने अपील उनवानी मूर्ति मंदिर गोपाल जी बनाम मवासी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जो अपील दिनांक 06.12.1991 को निरस्त कर दी गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर मूर्ति गोपाल जी महाराज ने अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जो निरस्त कर दी गई। उक्त निर्णयों में भी विवादित आराजीयात का प्रतिवादी अपीलान्ट को खातेदार माना जा चुका है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान न देकर विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में निर्णय व डिक्री काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 6 का निर्णय वहक वादी/रेस्पोडेन्ट किये जाने में कानूनी भूल की है वादी द्वारा आदेश 32 नियम 3 सीपीसी की कोई कम्पलाइन्स न करते हुए भी प्रतिवादी/अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णीत की गई है जो विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीये है। विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय बलराम दास की खातेदारी में थी। बलरामदास मवासी के ताऊ थे इसलिए उक्त आराजी मवासी के नाम आई। इस प्रकार ये खातेदार हुए। उक्त विवादित खसरा नम्बरान में से तीन खसरा नम्बर ऑयल डिपो में गए जिसका मुआवजा भी अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को मिला था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 का निर्णय अपीलान्ट/प्रतिवादी के पक्ष में किया गया है, कब्जा रेस्पोडेन्ट/वादी का नहीं है। जिसकी कोई क्रॉस अपील नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में 2000 RRD 189, 2000 RRD 108, 2000 RRD 14, 2000 RRD 114, 1995 RRD 94, 1995 RRD 93 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 निरस्त फरमाया जावे।

6. तहसीलदार भरतपुर रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 942/0 64 जो कि साबिक खसरा नम्बर 844 मि. एवं 847 मि. से बना है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 844 मि. साबिक खसरा नम्बरान 847 मि. जमाबन्दी ग्राम जघीना नं. 4 सम्वत 2013–2016 के खाता सं. 1269 में मन्दिर कृष्ण गोपाल जी महाराज अहतमाम मवासी बल्द सायरे कौम ब्राह्मण साकिन देह माफीदार देन जिमींदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि बिला लगान व एवज पुन्यार्थ जमाबन्दी के कालम सं. 10 में अंकित है। अतः उक्त आराजी मंदिर सेवा पूजा हेतु पुन्य कार्य वास्ते विला लगान के मन्दिर कृष्ण गोपाल जी महाराज को जमीदारान द्वारा दी गई थी जिसमें मवासी अहतमाम के तौर पर सेवादार नियुक्त था। अतः मवासी बल्द सामरे के नाम को कलमजन करने व मंदिर कृष्ण गोपाल जी महाराज के नाम उक्त भूमि को यथावत रखा जाना विधिसम्मत व न्यायोचित रहेगा। हाल आराजी खसरा नम्बर 2462/0.41 साबिक खसरा नम्बर 2190 बिस्वा से बना है तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 2463/0.21 साबिक आराजी ख.न. 2191 से बना है तथा हाल आराजी ख.न. 2464/0.39 साबिक आराजी खसरा नम्बर 2192 एवं ख.न. 2193 से बना है तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 2465/0.21 साबिक खसरा नम्बर 2194 से बना है। तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 2466/0.21 साबिक खसरा नम्बर 2195 से बना है, हाल आराजी खसरा नम्बर 2467/0.01 साबिक ख.न. 2195 मि. से बना है। उपरोक्त साबिक खसरा नम्बरान 2190/2.11, 2191/1.0, 2192/1.0, 2193/0.13, 2194/1.2, 2195/1.4 किता 6 रकबा 6 बीघा 10 जमाबन्दी सम्वत 2009–2012 वाके ग्राम जघीना नं. 4 के खाता सं. 1052 में बलराम चेला गोपालदास कौम ब्राह्मण साकिन देह माफीदारान देन जिमीदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो जमाबन्दी कालम सं. 10 में विला लगान व एवज सेवा पूजा अंकित है। अर्थात जमींदारान द्वारा उक्त भूमि मन्दिर के लिये विला लगान के सेवा पूजा हेतु दी गई भूमि है। जिस पर बलराम के नाम हो रहे इन्द्राजात रिकार्ड से कलमजन किया जाना व मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज हि. पूर्ण यथावत रखना विधिसम्मत व न्यायोचित रहेगा। मिसिल बन्दोबस्त में मवासी बल्द सामरे कौम ब्राह्मण सा.देह मंदिर श्री गोपाल जी महाराज खातेदार अंकित किया है। में से भी मवासी बल्द सामरे को कलमजन करने व मंदिर श्री गोपाल जी महाराज खातेदार के नाम उक्त आराजी को यथावत रखना विधिसम्मत व न्यायोचित है।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 12.07.2010 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तनकी सं. 2 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रतिवादी से वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है।

तनकी सं. 3 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध टी.आई. जारी करापाने का अकिारी है।

तनकी सं. 4 :– आया दावा वादी रैसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से वाधित है।

तनकी सं. 5 :– आया आराजी मन्दिर की नही होकर प्रतिवादी के भाई बलराम की है।

तनकी सं. 6 :– आया दावा वादी आदेश 32 नियम 3 सीपीसी के तहत काबिल खारिजी के है।

तनकी सं. 7 :– आया देवस्थान विभाग ने मन्दिर को देवस्थान विभाग का नहीं माना है।

तनकी सं. 8 :– दादरसी

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 व 5 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

उक्त दोनों तनकीयात एक दूसरे से सम्बन्ध रखती है अतः दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। तनकी सं. 1 आया वादी ने वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को खातेदार घोषित कराने की रिलीफ चाही है। इसके लिये उसने नकल जमाबन्दी संवत 2013 से 2016 प्रस्तुत प्रदर्श तीन की है। जिसमें साबिक खसरा नम्बर 844, 847, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195 पर मन्दिर कृष्ण गोपाल जी महाराज व बयहतमाम मवासी बल्द सामरे कौम ब्राह्मण पुजारी माफीदार देन जमींदार दर्ज है। प्रदर्श–4 पर प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 में इन्हीं नम्बरों पर कॉलम नं. 5 में मवासी वल्द सामरे कौम ब्राह्मण साकिन देह मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज खातेदार अंकित है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श दो के अनुसार विवादित आराजी के साबिक नम्बरों से हाल नम्बर 942/0.64, 2462/0.41, 2463/0.21, 2464/0.39, 2465/0.21, 2466/0.21, 2467/0.01 बनने की पुष्टि होती है। हाल जमाबन्दी सं. 2056 से 2059 प्रदर्श एक के अनुसार मवासी पुत्र सामरे कौम ब्राह्मण सा. देह मन्दिर श्री गोपालजी महाराज खातेदार अंकित है। उक्त जमाबंन्दी में हाल आराजी खसरा नम्बर 942/0.64, 2462/0.41, 2463/0.21, 2464/0.39 का अंकन है। शेष नम्बरान को आयल डिपो ने अवाप्त कर लिया है। इस प्रकार से दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजी पर वादी मूर्ति की खातेदारी प्रमाणित ठहरती है। स्वयं प्रतिवादी ने भी अपने शपथ पत्र की जिरह में स्वीकार किया है कि उक्त विवादित आराजी की पैदावार की आप को हम अपने ऊपर खर्च नही करके ठाकुर जी की पूजा सेवा, भोग–राग के काम में लेते है। इसका तात्पर्य यह है कि वह भी वादी मूर्ति की खातेदारी की पुष्टि करता है।

उसने प्रकरण में कोई भी दस्तावेज इस आशय का पेश नहीं किया है जिसके द्वारा यह प्रमाणित हो कि उसका भाई बलराम था तथा विवादित आराजी उसके भाई बलराम की खातेदारी की थी वैसे भी मूर्ति की माफी की आराजी पर कोई भी व्यक्ति काश्त करे वह काश्त उसकी नही मानते हुये मूर्ति की काश्त मानी जावेगी। इसलिये काश्त के आधार पर मूर्ति की माफी की आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार देय नहीं हैं जैसा कि योग्य अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरों के निर्णयों द्वारा पारित किया गया है। इस प्रकार से वादी के हक में तनकी सं. 1 प्रमाणित ठहरती है तथा तनकी सं. 5 व खिलाफ प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 1 से 5 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अपीलान्ट्स द्वारा पेश अपील पत्रावली पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत निम्न दस्तावेजात पेश किए गए :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1. नकल निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर अपील 32/10 निर्णय दिनांक 13.05.2011
2. नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 खाता सं. 184
3. नकल निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर दिनांक 18.01.1996 अन्तर्गत प्रकरण सं. 147/95
4. नकल खेवट खतौनी दो किता सम्वत 1988 ग्राम जघीना
5. नकल खेवट खतौनी सम्वत 1993 किता 2 ग्राम जघीना नं. 4
6. नकल आर्डर सीट दिनांक 05.12.1991 से 06.12.1991 आर.ए.ए. भरतपुर।
7. नकल आदेश दिनांक 06.12.1991 न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर उनवानी प्रकरण मूर्ति गोपाल जी महाराज बनाम मवासी
8. नकल आदेश दिनांक 09.03.2021 सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर।
9. नकल आर्डरशीट दिनांक 19.06.2023 अपील मीमों धारा 5 न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर।
10. नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 ग्राम जघीना नं.–1
11. नकल जमाबन्दी सम्वत 2026–2029 ग्राम जघीना नं.–4

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेजात का विवेचन करते हुए माना है कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–2016 प्रदर्श–3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 844, 847, 2190, 2192, 2193, 2195 पर मन्दिर कृष्ण गोपाल जी महाराज बअहतमाम मवासी वल्द सामरे कौम ब्राह्मण पुजारी माफीदार दैन जमींदार दर्ज है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी 2033–2036 में इन्हीं नम्बरों पर कॉलम नं. 5 में मवासी वल्द सामरे कौम ब्राह्मण साकिन देह मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज खातेदार अंकित है। प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बर 942/0.64, 2462/0.41, 2463/0.21, 2464/0.39, 2465/0.21, 2466/0.21, 2467/0.01 निर्मित हुए हैं। हाल जमाबन्दी सम्वत 2056–2059 प्रदर्श–1 के अनुसार मवासी पुत्र सामरे कौम ब्राह्मण सा.देह मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज खातेदार अंकित है, उक्त जमाबन्दी में हाल आराजी खसरा नम्बर 942/0.64, 2462/0.41, 2463/0.21, 2464/0.39 का अंकन है, शेष नम्बरान को आयल डिपो ने अवाप्त कर लिया है। इस प्रकार विवादित आराजी पर वादी मूर्ति की खातेदारी प्रमाणित ठहरती है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त विवेचन एवं निर्णय से सहमत हैं क्योंकि जमाबन्दी सम्वत 2013–2016 जो प्रदर्श EX-3 है में खाता सं. 1269 में कॉलम सं. 5 में मंन्दिर कृष्ण गोपाल जी महाराज अहतमाम मवासी वल्द सामरे कौम ब्राह्मण साकिन देह माफीदार दैन जिमिंदार दर्ज रिकार्ड है एवं कॉलम सं. 10 मे विला लगान पुन्यार्थ का अंकन है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मन्दिर की सेवा पूजा हेतु पुन्य कार्य के लिए विला लगान के मन्दिर कृष्ण गोपाल जी महाराज को जमींदार द्वारा प्रदत्त की गयी थी जिसमें मवासी केवल मन्दिर की सेवा के रुप में ही नियुक्त था। अपील स्तर पर पेश दस्तावेजात के आधार पर अपीलान्ट को कोई सहायता नहीं मिल सकती है क्योंकि जब जमाबंदी सम्बन्ध 2013–2016 जो आधार जमाबन्दी है उसी से स्पष्ट रुप से उक्त प्रकरण वादग्रस्त भूमि मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज की खातेदारी सिद्ध होती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी मूर्ति का था। उसके संरक्षक ने कथन किया है कि प्रतिवादी मूर्ति की पूजा सेवा भोगराज की कार्यवाही नहीं करता है जबकि प्रतिवादी ने मूर्ति की सेवा करना स्वीकार किया है। संरक्षक ने ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की है जिससे उसका कथन साबित हो। ना ही उसके अभिभाषक ने ही इस बिन्दू पर कोई जोर ही दिया है अतः इस तनकी को वादी सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः यह तनकी व खिलाफ वादी तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 2 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 का निर्णय विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 3 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी मूर्ति का था जब तनकी सं. 1 वहक वादी निर्णीत की जा चुकी है तथा उसके खातेदारी अधिकार मान लिये गये है तो यह तनकी भी वादी के हक में निर्णीत योग्य ठहरती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

इस तनकी का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 4,6,7 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

उक्त तनकीयों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था परन्तु उसने इन तनकीयो की बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और ना ही उसके वकील तथा वकील वादी ने वक्त बहस कोई बहस इन तनकीयों बाबत की। अतः इन तनकीयों पर कोई बहस नहीं होने से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 4,6,7 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

उक्त तनकीयों का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 यथावत रखा जाता है।
10. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री रिछपाल सिंह बुरड़क (आर0ए0एस0)

राजस्व अपील संख्या :– 55 / 10 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2010 / 00042

उनवान

भरत पुत्र श्री मवासी, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जघीना तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी / प्रतिवादी

बनाम

मूर्ति गोपाल जी महाराज विराजमान मन्दिर ग्राम जघीना जरिये संरक्षक तहसीलदार, भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स / वादी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 226 / 08 बउनवानी मूर्ति गोपाल जी महाराज बनाम मवासी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 व 183 आर.टी.एक्ट

यह अपील .....12.....माह.....05.....सन्.....2026.....व ..... मिनजानिब अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता **श्री महाराज सिंह डागुर** एड....., एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार भरतपुर उपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि..... **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2010 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील..... .....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....12.....माह.....05.....सन्.....2026.....को जारी की गई।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।